

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक न. 22(14)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक 3-12-18


आज्ञा:

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	मधव सिंह राठौड़ कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग परीक्षा-2018
2	पूजा कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, श्रीगंगानगर	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग परीक्षा-2018
3	हिमांशु शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय, विधि (ग्रुप-4), वादकरण विभाग, सचिवालय, जयपुर।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग परीक्षा-2018
4	हेमन्त कुमार धन्दे वरिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग परीक्षा-2018
5	ब्रदीप डामोर कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय जिला कलेक्टर, डूंगरपुर।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग परीक्षा-2018
6	संदीप भारद्वाज कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय, विधि (ग्रुप-4), वादकरण विभाग, सचिवालय, जयपुर।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग परीक्षा-2018
7	अरावेन्द कुमार चतुर्वेदी कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय, विधि (ग्रुप-4), वादकरण विभाग, सचिवालय, जयपुर।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग परीक्षा-2018
8	सुमित शर्मा वरिष्ठ विधि अधिकारी	विधि याचिका विभाग, जयपुर।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग परीक्षा-2018
9	सुमित शर्मा वरिष्ठ विधि अधिकारी	विधि विभाग, जयपुर।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग परीक्षा-2018


शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।


(अशुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

4. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रायली


31/12/18
संयुक्त शासन सचिव